प्रतिलिपि आदेश दिनांक 04-7-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर पु0क्र0 निग0 1969-तान/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-6-14 पारित द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 61/बी-121/13-14.

ग्यासीलाल कुशवाह तनय श्री हरचरणलाल
निवासी बिन्दपुरा तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
2- मुल्लालाल
3- कमलसिंह पुत्र लालसिंह
निवासी बिन्दपुरा तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1969 / III / 2014

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला टीकमगढ़

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

4.7.14

यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 61 / 13–14 /बी–121 में पारित आदेश दिनांक 28–6–14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4.7.14

3/ आवेदक ने निगरानी मेमो के साथ अधीनस्थ न्यायालय व्दारा उसे पक्षकार न बनाये जाने से हितबद्व होना बताते हुये निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है। कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 61 / 13–14 / बी–121 में पारित आदेश दिनांक 28–6–14 के पद 14 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पाया गया कि इस पैरा में आवेदक का खसरा नंबर 710 / 1 / 1 / 2 के अंश रकबा पर कब्जा किये जाने व मकान बना होने से अतिकमण हटाने की कार्यवाही तहसील न्यायालय में विचारित होने का उल्लेख है ऐसी स्थिति में आवेदक हितबद्व होने से निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4/ जहां तक निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार का प्रश्न है कलेक्टर, टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 28–6–14 के पद 14 में इस प्रकार अंकन है :–

"तहसीलदार पृथ्वीपुर व्दारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 264 / अ- 68 / 2011–12 में आदेश दिनांक 15–11–2011 अनुसार ग्यासीलाल कुशवाहा के विरूद्व मकान बनाकर कब्जा करने संबंधी प्रकरण कायम किया । खसरा नंबर 710 / 1 / 1 / 2 रकबा 0.809 के अंश रकबा 0.120 है. पर मकान बनाकर अवैध कब्जा पाया गया था यह भूमि स्कूल की भूमि होने से अतिकमण ग्यासी तनय हरचरण

कुशवाहा विदपुरा का मकान बनाकर कब्जा पाये जाने पर प्रकरण कायम किया गया था जिसमें दिनांक 15–11–2011 को अतिकमण हटा लेने का आदेश तहसीलदार व्दारा पारित किया है।''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है अपितु तहसीलदार पृथ्वीपुर के आदेश दिनांक 15–11–11 का उल्लेख किया है और तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्व आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी निरर्थक है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा आवेदक को सुने बिना आदेश पारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर टीकमगढ़ आदेश दिनांक 28–6–14 के अवलोकन पर पाया गया कि इस आदेश मे कलेक्टर व्दारा आवेदक के विरूद्व आदेश पारित नहीं किया है, अपितु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा याचिका कमांक 5795/2014 में पारित आदेश दिनांक 9–4–2014 के कम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर भूमि सर्वे नंबर 710 की बंदोवस्त से लेकर अद्वतन स्थिति की परीक्षण रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर तहसीलदार को कार्यवाही के निर्देश दिये हैं । ऐसी स्थिति में –

(अ) कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा की गई कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा याचिका कमांक 5795/2014 में पारित आदेश दिनांक 9–4–2014 के कम है अर्थात कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वयं होकर कार्यवाही नहीं की है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर व्दारा कार्यवाही की गई है यदि आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित है तव वह मान. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

(ब) कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा भूमि सर्वे नंबर 710 की बंदोवस्त से लेकर अद्वतन स्थिति अनुसार तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश दिये है और तहसील न्यायालय में एंव तहसील न्यायालय के आदेश

4-7-14